

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) श्रीगंगानगर















- :: कार्यालय आदेश :: -

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा:-माध्य/संस्था/एफ-1/12102 /प्र.शा.स.ग्रेड-III/सी.भ./2017-18/दिनांक 01.08.2020 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 06.08.2020 की अनुपालना में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला प्रयोगशाला सहायक भर्ती वर्ष 2018 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के पत्र क्रमांक: प.14(70)(3)RSMSSB/अर्थना/मा.शि./प्रयो.सहा./पात्रता जांच/2018/1550 दिनांक 20.12.2019 के द्वारा प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III पद हेतु अन्तिम रूप से चयनित एवं अभिस्तावित किये गये अभ्यर्थियों को जिला आवंटन उपरान्त दिनांक 08.08.2020 को काउंसिलिंग आयोजित कर तृतीय वेतन श्रृंखला प्रयोगशाला सहायक के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल 08 में प्रोवेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोवेशन पर नियमानुसार देय नियत मानेदय 18500/- प्रतिमाह/विद्यमान वेतनमान पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। संस्थाप्रधान इन्हे कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं की पूर्ति पूर्ण करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवाया जावे :-

- 1 नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचार रिपोर्ट व सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व में राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
- 2 नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1) डीओपी /ए-III/95/दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके बाद उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।
- 3 राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक /प्रशैक्षिक योग्यता की वैधता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवायी जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों की योग्यता राज्य सरकार से बाहर की संस्थाओं से अर्जित है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जाने के अध्यक्षीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50 रुपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र आवश्यक रूप से पूर्व में प्राप्त करेगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- 4 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही है। दस्तावेजों के त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पायें जाने की दशा में उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेंगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा।
- 5 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(3) कार्मिक/क-2 /06/पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धुम्रपान एवं गुटका सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।
- 6 अभ्यर्थी को दिनांक 18-08-2020 तक अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।
- 7 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेजों यथा शैक्षिक, प्रशैक्षिक, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य का मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर लेवे। मिलान से भिन्न स्थिति पायें जाने की दशा में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण इस कार्यालय को लौटायें।
- 8 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ.12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होंगे।
- 9 वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ.12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार के अनुसार प्रोवेशनर ट्रेनी के फिक्स रेमुनेरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।
- 10 चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रसारित विज्ञप्ति प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा-2018 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के अंतिम निर्णयों के अध्यक्षीन रहेगी।



क्रमांक: 5065/ 01 08.08.2020

- 11 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशनर ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे ।
- 12 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधानी निधि आदि की कटौती नहीं होगी ।
- 13 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा ।

क्रस	मैरिट क्रमांक	वर्ग	नाम अभ्यर्थी, पिता का नाम व स्थाई पता	जन्म तिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान	अभ्यर्थी की फोटो
1	308	OBC	गोविन्द साहु/ भागी रथ साहु SAHU NIWAS-177 KANTA KHATURIA COLONY, BIKANER	11-06-1993	Gen M	राउमावि मटीली राठान (08010112503)	
2	313	Gen	गौरव सिंह तंवर/ राधेश्याम तंवर WARD NO 09NEAR BUS STAND RAISINGHINAGAR, Ganganagar	07-11-1997	Gen M	राउमावि गजसिहपुर (08010425508)	
3	325	OBC	संजय कुमार/ कालु राम WARD NO 17, SRI KARANPUR, Sri Ganganagar	05-06-1996	Gen M	राउमावि केसरीसिहपुर (08010224201)	
4	445	OBC	हेमंत सिंह चारण/ श्याम सिंह चारण NEAR MATAJI TEMPLENEW MASJID ROAD, INDRA COLONY, BIKANER	17-03-1998	Gen M	राउमावि अनूपगढ (08010947904)	
5	451	OBC	राकेश कुमार गोदारा/ तिलोक चन्द गोदारा WARD NO 5, PUGAL, District-BIKANER	23-09-1999	Gen M	राउमावि 10 डीओएल (08010611903)	
6	472	OBC	भागीरथ स्वामी/ आशु दास स्वामी VPO-JEGANIYA VIDAWATAN, RATANGARH D, CHURU	21-07-1996	Gen M	राउमावि केसरीसिहपुर (08010224201)	
7	511	OBC	मोहम्मद इरफान/ सैयद मोहम्मद ईशाक GANJER ROAD CHUNGI CHOKI BANGLA NAGAR BIKANER MUSTAFA MASJID KE PASS GALI NO 3, BIKANER	27-01-1995	OBC M	राउमावि 12 एच हिश्यामकी (08010680704)	
8	516	OBC	सीता राम/ धन्ना राम ward no 08, village Talniyau, post surpaliya, NAGAUR	15-10-2000	OBC M	राउमावि सरदारपुरा बीका (08010804801)	
9	520	Gen	दिव्या मुंजाल/ सुरेश कुमार WARD NO. 11, KACHI THERI, SRIKARANPUR, SRIGANGANAGAR	06-04-1997	Gen F	राउमावि श्रीकरनपुर (08010225706)	
10	535	OBC	बलवान सिंह/ महावीर सिंह VPO BHALOTH, THE-BUHANA, JHUNJHUNU	13-10-1997	OBC M	राउमावि सादुलशहर (08010333606)	
11	538	OBC	तोलाराम/ धन्नाराम VPO- KUCHOR ATHUNI, BIKANER	01-11-1999	OBC M	राउमावि निरवाणा (08010803502)	
12	665	OBC	राकेश कुमार/ मंगना राम PADIAL District-JODHPUR	22-08-1997	OBC M	राउमावि सादेकी जोहड़ी (08010848005)	
13	704	OBC	किरण/ जगदीश प्रसाद कस्वां Ramsar, napasar, bikaner	02-10-2000	Gen F	राउमावि सूरतगढ (08010860801)	
14	707	OBC	प्रियंका मूंड/ पूर्ण राम Vill-Falawali, The-Pugal, Bikaner	25-06-1998	Gen F	राउमावि न.म. घड़साना (08010645629)	
15	2084	SC	कपिल घोयल/ भैरा राम RAMPURA NYOLA, SURATGARH, Sri Ganganagar	07-07-1998	SC M	राउमावि मुकलावा (08010799601)	

कुमक 5065 Dt:- 08.08.2020



16	2382	SC	विक्रमजीत सिंह / दर्शन सिंह WARD NO 3, 2KJD(A), TEH KHIAJUWALA, BIKANER	10-10-1998	SC M	रावाउमावि अनूपगढ (08010948802)	
17	4270	ST	नर्मदा / सुभाष चन्द्र मीणा POLICE LINE, BLOCK NO A3,Q NO 2, Sri Ganganagar	05-04-1998	ST F	रावाउमावि मटका चौक, श्रीगंगानगर (08010134101)	

नोट :- क्र.स. 6 भागीरथ स्वामी को संबंधित संस्था प्रधान अभ्यर्थी की मूल सैकण्डरी अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही कार्यग्रहण करवाया जाये।

(हंस राज यादव) 1/9/2020  
जिला शिक्षा अधिकारी  
मुख्यालय-माध्यमिक  
श्रीगंगानगर  
दिनांक : 08-08-2020

क्रमांक: जिशिअ/माध्य/गंगा/संस्था-1/नियु./प्रयो सहा-11/2020/ 5065  
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 2 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर मण्डल, बीकानेर।
- 3 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर।
- 4 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
- 5 संबंधित संस्था प्रधान.....
- 6 संबंधित अभ्यर्थी..... रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से।
- 7 वरिष्ठता अनुभाग, कार्यालय हाजा।
- 8 रक्षित पत्रावली।

(हंस राज यादव)  
जिला शिक्षा अधिकारी  
मुख्यालय-माध्यमिक  
श्रीगंगानगर